

न्यायालय—श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.—130 / 2011
 संस्थित दिनांक—10.03.2011
 फाईलिंग क्र.234503001092011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

नरेन्द्र उर्फ मोनू पिता गोवरीलाल विजयवार, उम्र—40 वर्ष, जाति कलार
 निवासी—वार्ड नंबर—12 बुढी बालाघाट,
 थाना कोतवाली, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—13 / 04 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—06.02.2011 को 1:00 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम उस्काल नाला के आगे गोलाई के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम. पी—50 / ई—0153 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहतगण सालिकराम, दीपक, राजेश को टक्कर मारकर उपहति तथा आहत दीपक को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—06.02.11 को फरियादी सालिकराम अपनी मोटरसाईकिल सी.टी—100 से अपने साथी दीपक एवं राजेश के साथ बालाघाट जा रहा था। घटनास्थल उस्काल नाला के पास सामने की ओर से बस क्रमांक—एम.पी—50 / ई—0153 के चालक मोनू ने तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे सालिकराम, दीपक राजेश गिर गए। सालिकराम के सीने पर तथा दाहिने पैर पर चोटें आईं। राजेश एवं दीपक के पैर में भी चोटें आई थी। जिला अस्पताल से दुर्घटना के विषय में लिखित

सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात् घटना की जांच की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-06.02.2011 को 1:00 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम उस्काल नाला के आगे गोलाई के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी-50/ई-0153 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण सालिकराम, दीपक, राजेश को टक्कर मारकर उपहति की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत दीपक को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— आहत सालिकराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा आहतगण को जानता है। दिनांक-6 फरवरी 2011 को वह अपनी मोटरसाईकिल से बालाघाट जा रहा था, तब घटनास्थल उस्काल नाला के पास नारायण बस का चालक बस को तेजी से चलाकर लाया और सामने से उसे टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया और उसकी पसलियां और दाहिना पैर टूट गया था।

मोटरसाईकिल में उसके साथ बैठे राजेश और दीपक को भी चोटें आई थी। उसने पुलिस को अपने बयान लेख कराए थे और उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल पर तीन लोग बैठकर जा रहे थे। साक्षी ने कहा कि उसे टक्कर मारने वाली बस का क्रमांक नहीं मालूम है और दुर्घटना होते ही वह बेहोश हो गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि बस कौन चला रहा था, यह उसने नहीं देखा था।

7— राजेश (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना दिनांक को वह सालिकराम, दीपक के साथ मोटरसाईकिल से जा रहा था, तो लौगूर के पास सामने से आती हुई नारायण बस के पिछले भाग से उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर लगी थी, जिससे वह गिर गया था और उसका दाया पैर फ्रेक्चर हो गया था और उसके दोनों साथियों के पैर भी टूट गए थे। वह बस चालक को देख नहीं पाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसका मुलाहिजा करवाया था। प्रतिपरीक्षण में पुनः साक्षी ने कहा है कि वह दुर्घटना कारित करने वाली बस का क्रमांक नहीं बता सकता।

8— दीपक (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक को वह सालिकराम की मोटरसाईकिल में बैठकर अपने साथी राजेश के साथ उकवा से बालाघाट जा रहा था, तभी लौगूर के आगे गोलाई पर नारायण बस बहुत तेजी से आई और उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना में उसका दाहिना पैर फ्रेक्चर हो गया था और उसके दो अन्य साथियों को भी चोटें आई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि आरोपी बस को तेज गति से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना दिनांक को वह स्वयं राजेश तथा सालिकराम तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल पर बैठकर जा रहे थे। साक्षी ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर की जानकारी नहीं होना व्यक्त किया। साक्षी ने कहा है कि उसे दो-तीन बाद जानकारी हुई कि आरोपी वाहन को चला रहा था।

9— डॉ. सी.के. पारधी (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.02.2011 को मिताली अस्पताल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत था। उसके जूनियर डॉक्टर अजय वासनिक के द्वारा आहत सालिकराम चौहान को आई चोटों की जानकारी थाना प्रभारी बालाघाट को प्रदर्श पी-4 के माध्यम से दी गई थी, जिस पर डॉक्टर अजय वासनिक के हस्ताक्षर हैं। कोतवाली पुलिस बालाघाट द्वारा आहत का मुलाहिजा फार्म पेश करने पर उसके अधिनस्थ डॉक्टर रोहित गुप्ता द्वारा आहत का परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत के दाहिने पैर व दाहिनी छाती की पसली में फ्रैक्चर होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर डॉक्टर रोहित गुप्ता के हस्ताक्षर हैं। आहत को भर्ती किये जाने की पर्ची प्रदर्श पी-6 व ईलाज की पर्ची प्रदर्श पी-7 है, जो डॉक्टर रोहित गुप्ता की हस्तलिपि में है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक-07.02.2011 से दिनांक-09.02.2011 तक आहत अस्पताल में भर्ती नहीं था।

10— डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। दिनांक-06.02.2011 को आहत दीपक का एक्सरे किया गया था, जिसमें टीबीया हड्डी के नीचले भाग में अस्थिभंग होना पाया गया था। इस संबंध में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत की एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 है। दिनांक-06.02.2011 को आहत सालिकराम का एक्सरे किया गया था, जिसमें टीबीया हड्डी के उपरी भाग तथा फेबुला हड्डी के उपरी भाग में अस्थिभंग होना पाया गया था। इस संबंध में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत की एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-2 है। दिनांक-06.02.2011 को आहत राजेश का एक्सरे किया गया था, जिसमें पैर की हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया था और जांघ की फीमर हड्डी के मध्य भाग में अस्थिभंग होना पाया था। इस संबंध में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत की एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-3 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष की सुझाव से इंकार किया है कि आहतगण से मिलकर उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी एक्सरे रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

11— बिपेन्द्र चौकसे (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह थाना रूपझर के अपराध क्रमांक-20/11 में जप्त सवारी बस क्रमांक-एम. पी-50/ई-0153 का परीक्षण किया था, जिसमें उसके स्टेयरिंग, ब्रेक, गियर, एक्सीलेटर, क्लच, हेडलाईट, इंडिकेटर ठीक अवस्था में होना पाया था। वाहन चालू हालत में था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि जप्तशुदा वाहन का ब्रेक तथा स्टेयरिंग ठीक हालत में नहीं थे।

12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी के.पी. मिश्रा (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-13.02.2011 को थाना रूपझर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक को अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर जांच उपरांत अपराध क्रमांक-20/11, धारा-279, 337, 338 भा.द.वि. के अंतर्गत नारायण बस क्रमांक-एम. पी-50/बी-0153 के चालक आरोपी मोनू विजयवार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 लेखबद्ध किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही मौके पर जाकर पूनमचंद उर्फ दुल्लु की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी पूनमचंद, दीपक कोहरे, राजेश चौकसे के बयान उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक-27.02.2011 को साक्षी सालिकराम के बयान लेखबद्ध किये थे तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी नरेन्द्र विजवार से साक्षियों के समक्ष नारायण बस पीले रंग की मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-12 तैयार किया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन के मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 चालान के साथ संलग्न किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि प्रदर्श पी-11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने अपने मन से लेख की थी तथा समस्त अनुसंधान की कार्यवाही कूट रचित आधार पर की थी।

13— अभियोजन साक्षी पूनमचंद गौतम (अ.सा.3) एवं सोमेश (अ.सा.5) ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही उन्होंने पुलिस को अपने बयान लेख कराए थे। अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किये जाने पर भी उपरोक्त साक्षियों द्वारा अभियोजन

कहानी का समर्थन नहीं किया गया है।

14— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में आहत सालिकराम ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी तेज गति से वाहन चला रहा था। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि भीड़ होने से वह नहीं देख पाया था कि दुर्घटना के समय वाहन कौन चला रहा था। इस प्रकार साक्षी द्वारा मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किया गया है।

15— साक्षी राजेश (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता एवं दुर्घटना दिनांक को सामने से आती हुई बस ने उसे टक्कर मारी थी। साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी दुर्घटना कारित करने वाला वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चला रहा था। इसी प्रकार साक्षी दीपक ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसे घटना के तीन-चार दिन बाद पता चला था कि उक्त वाहन आरोपी मोनू चला रहा था। इस प्रकार आरोपी की पहचान को लेकर तथा दुर्घटना के समय वाहन को आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाया जाने के तथ्यों को उपरोक्त अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि आहत साक्षीगण दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं एवं उनके द्वारा आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना के समय चलाया जाना स्पष्टतः नहीं कहा गया है।

16— चिकित्सक साक्षी डॉ. सी.के. पारधी (अ.सा.6) तथा डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.7) ने स्वयं द्वारा लेख की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 लगायत 10 को प्रमाणित किया है, जिससे यह धारणा की जा सकती है कि दुर्घटना में आहतगण को चोटें आई थी। अब देखना यह है कि क्या आहतगण को चोटें आरोपी द्वारा दुर्घटना दिनांक को वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाए जाने से आई थी। विवेचक के.पी. मिश्रा (अ.सा.9) ने विवेचना की कार्यवाही को न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है। उनका कहना है कि उन्होंने वाहन क्रमांक-एम.पी-50/ई-0153 के चालक के विरुद्ध अपराध की कायमी की थी और उपरोक्त वाहन को जप्त किया था। अपने

न्यायालयीन परीक्षण में साक्षी सालिकराम (अ.सा.1), राजेश (अ.सा.2), दीपक (अ.सा.4) ने कहा है कि उन्हें दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का क्रमांक नहीं मालूम है और न ही उन्होंने पुलिस को यह जानकारी दी थी, तब विवेचक द्वारा उपरोक्त वाहन को किस आधार पर जप्त किया गया अथवा इसी वाहन से दुर्घटना होना पाया गया। यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो रही है। शेष अभियोजन साक्षी पूनमचंद गौतम (अ.सा.3) तथा सोमेश (अ.सा.5) ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और उन्होंने विवेचक के द्वारा की गई कार्यवाही को प्रमाणित नहीं किया है। प्रकरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि दुर्घटना में आहतगण सालिकराम, राजेश एवं दीपक ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वे लोग मोटरसाईकिल में तीन संख्या में बैठकर जा रहे थे। विधि अनुसार मोटरसाईकिल मात्र दो ही लोगों का परिवहन किया जाना स्वीकृत होता है। इसलिए यदि तीन सवारी मोटरसाईकिल पर बैठी हो तो अनियंत्रण होने से वाहन गिरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त आधारों पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किये जाने के तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध प्रमाणित न होने से आरोपी के विरुद्ध शेष भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 भी प्रमाणित नहीं होती है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के अंतर्गत अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा बस क्रमांक-एम.पी-50/ई-0153 मय दस्तावेज के हनीफ खान पिता हमीद खान, निवासी वार्ड नंबर-11 बैहर, थाना बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त

सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही /—
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सही /—
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)